न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 28 / 2019

GCMS No-2019/00078

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. भुण्डाराम पुत्र श्री बद्रीलाल माली मैसर्स जगदीश प्रोविजन स्टोर जोधपुर रोड बस स्टेण्ड बर जिला पाली 2. महेन्द्रसिंह राजपुरोहित मैसर्स श्री गोपाल डेयरी सापन्दा रोड़ सेठी कॉम्पलेक्स केकड़ी (अजमेर) 3. दीपक सिंह गोहिल निर्माता फर्म श्री खेतेश्वर डेयरी एच–97 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया गेगल, अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली।
2. अधिवक्ता अप्रार्थीगण अनुपस्थित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक - 23-06-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित होने से खाद्य सुरक्षा अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 27.05.2018 को दौराने गश्त मैसर्स जगदीश प्रोविजन स्टोर जोधपुर रोड बस स्टेण्ड बर जिला पाली पर पहुचा वहां पर अप्रार्थी भुण्डाराम उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी एवं गवाहान की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर 25 पैकेट में घी ब्राण्ड श्री गोपाल फ्रेश के 500 एमएल की पैकिंग के कार्टून आमजन को बिक्री के लिए रखे हुए थे, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा पर रखे हुए घी(ब्राण्ड श्री गोपाल फ्रेश) मे से 500 एमएल के चार मूल पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 760/–रूपये नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा घी(ब्राण्ड श्री गोपाल फ्रेश) को विक्रेता एंव गवाहान के सामने चार नमूना पैकेट तैयार करके प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–780 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर नमूना खरीद का बिल क्रमांक 01 दिनांक 06.04.2018 मैसर्स श्री गोपाल डेयरी सापन्दा रोड़ केकड़ी जिला अजमेर की प्रति पेश की। अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त घी अप्रार्थी संख्या 03 से जरिये बिल क्रमांक 04 दिनांक 04.04.2018 से क्रय किया जिसकी प्रति पत्रावली के सलंग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से लिये गये नमूने को मेरे स्वयं के द्वारा दिनांक 28.05.2018 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/401/एक्ट/2018/414 दिनांक 01.06.2018 के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिये गये घी(ब्राण्ड श्री गोपाल फ्रेश) का नमुना क्रमांक आर–780 Sub-standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने Sub-standard घी(ब्राण्ड श्री गोपाल फ्रेश) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान मैसर्स जगदीश प्रोविजन स्टोर जोधपुर रोड बस स्टेण्ड बर जिला पाली से नमुना क्रमांक आर–780 घी(ब्राण्ड श्री गोपाल फ्रेश) का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.05.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से घी(ब्राण्ड श्री गोपाल फ्रेश) क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./401/एक्ट/2018/414 दिनांक 01.06.2018 के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–780 को अवमानक (Sub Standard) माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री गोपाल फ्रेश) अवमानक स्तर (Sub standard) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण पर 25000 / – अक्षरे कुल पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23-6-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली